उत्तर प्रदेष राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004]

यू0 पी0 अधिनियम सं0 15, 2010
यू0 पी0 अधिनियम सं0 05, 2011
यू0 पी0 अधिनियम सं0 17, 2011
यू0 पी0 अधिनियम सं0 08, 2016
यू0 पी0 अधिनियम सं0 12, 2020
यू0 पी0 अधिनियम सं0 22, 2020
यू0 पी0 अधिनियम सं0 23, 2021
यू0 पी0 अधिनियम सं0 12, 2025

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्रकाशित हुआ।]

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन मे आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ––

(क) "वार्षिक बजट" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान–मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे गये वार्षिक वित्तीय विवरण से है ।

(ख) "चालू वर्ष" का तात्पर्य ऐसे वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से है जिसके लिए बजट और मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति प्रस्तुत की जा रही हो ।

(ग) "राजकोषीय घाटा" का तात्पर्य ––

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की संकलित निधि के कुल संविवरण (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) से है; या

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(दो) स्वकर और करेतर राजस्व प्राप्तियॉ, राज्य को भारत सरकार से न्यूनतम और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणतर पूंजीगत प्राप्तियों, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार संबंधी अपेक्षाओं व ऋण के शुद्ध प्रतिसंदाय को रूपित करती है, से अधिक राज्य सरकार की समेंकित निधि से (उधारों को लेकर किन्तु ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) कुल व्यय से है।

(घ) "राजकोषीय सूचकों" का तात्पर्य राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए एकल मूल्य घरेलू उत्पाद या किसी अन्य किन्हीं अनुपातों की, जैसा विहित किया जाय, अधिकतम आंकिक सीमा और अनुपात जैसे मापों से है।

(ङ) "पूर्ववर्ती वर्ष" का तात्पर्य चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से है।

(च) "राजस्व घाटा" का तात्पर्य राजस्व और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर से है;

(छ) "कुल दायित्वों" का तात्पर्य राज्य की समेंकिन निधि और राज्य लोक लेखा के अधीन दायित्वों से है।

विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति

3–(1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति रखेगी।

(2) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्विहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ पंचवर्षीय चल लक्ष्य उपबंधित होंगे।

(3) विशिष्टतः और उपधारा (2) में अनुर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित में संबंधित संपोषपीयता कर निर्धारण भी होगा ––

(एक) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अतिशेष,

(दो) उत्पादकारी आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का जिसके अन्तर्गत उधार भी है, प्रयोग।

(4) मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति के अन्य जातों के साथ–साथ, निम्नलिखित होंगे–

(क) राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकीय उद्देश्य ;

(ख) बजट में दिये गये लक्ष्य की तुलना में विहित राजकोषीय सूचकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में सम्भावित निष्पादन।

(ग) हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वृद्धि एवं विकास की भावी सम्भावनाओं पर विवरण।

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की युक्तिगत प्राथमिकताएं।

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों, उधार दिये जाने और निवेश, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रत्याभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाकलापों जिनकी संभावित आय–व्ययक उपलक्षणा हो, से सम्बधित राज्य सरकार की नीतियों और इनमें प्रत्येक से संबंधित मूल राजकोषीय अध्युपाय और लक्ष्य।

(च) इस संबंध में यह मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां किस प्रकार धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में दिये नये वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप है ।

(5) मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति यथाविहित प्रपत्र में होगी।

[1][(6) राज्य सरकार प्राप्ति और व्यय के राजस्व महत्वपूर्ण मदों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करेगी ;]

वित्तीय प्रबन्ध नीतियां

4–(1) राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होगी :–

(क) प्रबुद्ध स्तरों पर सरकारी ऋण का अनुरक्षण करना ;

(ख) प्रत्याभूतियों और अन्य समाश्रित दायित्वों का, ऐसे दायित्वों की गुणवत्ता और उनके स्तर को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए, प्रबन्ध करना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार के नीति विषयक विनिश्चयों में भविष्य की पीढ़ी पर उसकी वित्तीय उपलक्षणा पर सम्यक् ध्यान दिया गया है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग ऐसे विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों पर, जिनके सम्बन्ध मे यह मूल्यांकन किया गया हो कि वे स्वयं संपोषित हो जाएगी और पंजीगत आस्तियों के सृजन और उनकी वृद्धि पर किया जाय और उनका उपयोग वर्तमान व्यय के वित्तपोषण पर न किया जाय ;

(ङ) कर भार के स्तर में स्थायित्व और भविष्य सूचकता का उचित स्तर सुनिश्चित करना ;

(च) विशेष प्रोत्याहनों, रियायतों और छूटों को न्यूनीकृत करके कर प्रणाली की अक्षतता को बनाए रखना ;

(छ) आर्थिक दक्षता और अनुपालन लागतों पर सम्यक् ध्यान देते हुए कर संबंधी नीतियों का अनुसरण करना ;

(ज) लागत वसूली और साम्या पर सम्यक् ध्यान देते हुए करेतर राजस्व नीतियों का अनुसरण करना ।

(झ) ऐसी व्यय सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना जिससें आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानब कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ;

(ञ) पूँजी सृजन और उत्पादक व्यय में उपयोग के लिए राजस्व अधिशेष का सृजन करना।

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की भौतिक आस्तियों का अनुरक्षण उचित रूप से किया जाता है ;

(ठ) पर्याप्त सूचना का प्रकट करना जिससे कि जनता राजकोषीय नीति के संचालन और लोक वित्तीय स्थिति की संवीक्षा कर सके ।

(ड) यह सुनिश्चित करना कि सरकार संसाधनों का उपयोग ऐसे ढ़ग से करती है जिससे कि धन का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो सके और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आस्तियों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 2011 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ढ) लोक कल्याण और सेवा प्रदान कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन से सम्बद्ध राजकोषीय जोखिम को न्यूनीकृत करना।

(ण) राजस्व वसूली के स्तर के अनुरूप व्यय का प्रबन्ध करना,

(त) सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण और राजस्व सम्भावनाओं पर सम्यक् ध्यान देते हुए यर्थाथ और निरपेक्ष रीति से बजट तैयार करना और वर्ष के दौरान विचलन को न्यूनीकृत करना ;

(थ) चालू दायित्वों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करना ;

(2) राज्य सरकार राजस्व घाटा दूर करने और संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित उपाय करेगी।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार ––

[1][(क) राजकोषीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक राजस्व घाटा शून्य करेगी और राजस्व सन्तुलन बनाये रखेगी या तत्पश्चात अधिशेष प्राप्त करेगी।]

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खण्ड (क) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटे में कमी करेगी।

[2][(ग) वर्ष 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः चार प्रतिशत, साढ़े तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी :

परन्तु यह कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदंड के आधार पर वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा उपलब्ध होगी।]

[3][परन्तु यह और कि ऊर्जा क्षेत्र मैं कार्य निष्पादन के मानदण्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–2026 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा उपलब्ध होगी।]

[4][(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी रीति से, जो उस खण्ड मे दिए गए लक्ष्य से संगत हो, सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को कम करना।][4]

(ङ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नही देगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 2011 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2025 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(च) यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 31 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत 30.50 प्रतिशत, एवं 30 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाये ;]

[2][परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक में, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी;]

[3][(छ) विभिन्न विभागों के वार्षिक आय–व्ययक प्रावधान में पूँजीगत कार्यों हेतु आय–व्ययक प्रावधान के 70 प्रतिशत से अन्यून धनराशि चालू पूँजीगत कार्यों हेतु तथा 30 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की व्यवस्था नये पूँजीगत कार्यो हेतु सुनिश्चित करेगी।]

परन्तु यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मागों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, आधिक्य की सम्भावित सीमा और उसके कारणों को अधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायगा।

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय

5–(1) राज्य सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय प्रवर्तनों में अधिकाधिक पारदर्शित सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहाँ तक साध्य हो वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र मे जो विहित किया जाय एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी ––

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की सम्भावना वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

(ख) जहां तक संभव हो, और लोकहित की संरक्षा के अनुरूप, प्रत्याभूतियों द्वारा सृजित आकस्मिक दायित्व, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उधार से उद्भूत होने वाले वास्तविक दायित्व और असामान्य उद्देश्य साधन और अन्य समकक्ष लिखत, जहां प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर हो तथा संभावित आय–व्ययक उपलक्षणा वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं जिनमें समुत्थापित किन्तु अनाप्त राजस्व मांग, कर व्यय ; सार्वजनिक माल एवं सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं उपक्रमों के

\

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 2016 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2020 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 2016 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

माध्यम से उपलब्ध कराने में उपगत क्षतियां, वृहद कार्यों और संविदाओं से सम्बन्धित दायित्व ; और आर्थिक सहायता के संदाय और धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लक्ष्यों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर उक्त का प्रभाव।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय

6–(1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।

(3) पुनर्विलोकन रिपोर्ट में, ––

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायगा।

(ख) स्पष्ट किया जायगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बन्धी परिणामों से सम्बन्धित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है ; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

(4) जब कभी राज्य सरकार के किसी नये नीति विनिश्चिय, जिससे या तो राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हों, के कारण किसी दिये गये वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों से राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की संभाव्यता हो तो राज्य सरकार, ऐसे नीति विनिश्चय करने के पूर्व ऐसी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेंकित निधि में से संदत्त और उपयोजित की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों मे कमी करके, या राजस्व संवर्धन के अंतरिम उपाय करके या दोनो का सम्मिलित उपाय करके चालू और भावी वर्षों के लिए राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने का उपाय करेगी :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि से प्रभारित व्यय के लिए इस उपधारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्षो से अनुषक्त रहने के दौरान राज्य सरकार मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में, "उच्च प्राथमिकता विकास व्यय" के रूप मे परिभाषित कतिपय व्यय में कमी से संरक्षित रखने को प्राथमिकता देगी या घटा सकेगी या आंशिक कमी अधिरोपित कर सकेगी।

(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में

अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव की पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्सम कमी और/या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।

[1] [(6) सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के विशेष सन्दर्भ मे सरकार की वित्तीय स्थिति की प्रास्थिति की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र अभिकरण नियुक्त करेगी । ऐसी समीक्षा का कालनियतन उसी प्रकार होगा जैसा कि विहित किया जाय।]

नियम बनाने की शक्ति

7–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबंध कर सकते है, अर्थात् :–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाले राजकोषीय सूचक।

(ख) धारा 3 में निर्दिष्ट मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति की अवधि ।

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता है ।

सद्भावना से किये गये कार्य संरक्षण

8–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अन्य विधियों का जो वर्जित न हों, लागू किया जाना

9–इस अधिनियम के उपबंध, सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण के लिए होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 2011 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनें को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से एक विधि, अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक, अन्य बातों के मध्य, निम्नलिखित की व्यवस्था करता है :–

(एक) वार्षिक बजट, जो विहित राजकोषीय सूचकों के पंचवर्षीय चल लक्ष्यों को उपवर्णित करेगा, संहित मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मण्डल के दोनों के समक्ष रखने के लिये राज्य सरकार से अपेक्षा करना।

(दो) राज्य सरकार का मार्ग दर्शन के लिये राजकोषीय प्रबंध सिद्धान्तों को विनिर्दिष्ट करना।

(तीन) राजस्व घाटा दूर करने और विहित सीमाओं के भीतर 31 मार्च, 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को अन्तर्विष्ट करने के लिये समुचित उपाय करने की राज्य से अपेक्षा करना।

(चार) राजकोषीय प्रवर्तनों मे पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जहॉ तक व्यवहार्य हो, वार्षिक बजट की तैयारी मे गोपनीयता को कम करने के लिये समुचित उपाय करने की राज्य सरकार से अपेक्षा करना।

(पांच) यह अपेक्षा करना कि वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां, आगामी और भावी वर्षों के लिये मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति मे विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होगी।

(छः) वित्त मंत्री द्वारा बजट के सम्बन्ध में प्राप्तियों और व्यय के रूखों का अर्द्धवार्षिक पुनर्विलोकन किया जाना और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम से राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना ।

(सात) विधान के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं को पूरा करने में किसी विचलन के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में वित्त मंत्री से विवरण देने की अपेक्षा करना।

(आठ) राष्ट्रीय सुरक्षा या अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अकल्पित मांगो पर विचार करने के लिये घाटे में कमी के लक्ष्यों मे शिथिलीकरण ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पुरः स्थापित किया जाता है।